

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारानी अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राजसमन्द

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजसमन्द
व भू.अ.नि. ५६६२५५ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शैलभद्र / नागव
तहसीलदार शैलभद्र की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजसमन्द तहसील शैलभद्र व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०७७ में खाता संख्या २५५ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| 1 | <u>राजसमन्द</u> <u>शैल</u> | ३५५ | <u>नारायण पिं १-६५</u> <u>माली</u> | <u>नारायण पिं</u> <u>१-६५ माली</u> |

शैलभद्र
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

ग्रामांक:- 429
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार शैलभद्र को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शैलभद्र
उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,